वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग – 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरे जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या 2015/013

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़ राज्य
ii)	जिला	सुकमा
iii)	वन प्रभाग	सुकमा वनमंडल सुकमा
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	3.857 हेक्टर
v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन 1.287 संरक्षित वन 1.355 राजस्व वन भूमि 1.215 **3.857**
vi)	हरियाली का धनत्व	0.2 से 0.3 तक
vii)	प्रजाति –वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल – 2 मीटर की परिगणना और एफ आर एल 4 मीटर भी संलग्न किए जाए)	चूकि प्रस्तावित कार्य सड़क के किनारे राईट–आफ–वे के अंतर्गत किया जाना है अतएव किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नहीं होगा।
viii)	भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनाशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	आवेदित क्षेत्र के भूमि की दशा रेतीली मिट्टी है। भूमि की द्वारा प्राकृतिक (Geo-Ecological) 0.2 से 0.3 से मध्य धनत्व धारित वन विधमान है। भू–क्षरण की संभावना नहीं है। पुर्नरूपादन निरंक है।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	आरक्षित वन 1.287 संरक्षित वन 1.355 राजस्व वन भूमि 1.215 **3.857**

x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व, बाद्य रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हा तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वर्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	नहीं
Xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुलर्भ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां/तो तदत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्पारिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तदत्संबंधी प्रधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि आपेक्षित हो, दें।	नहीं
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावति वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जॉचे गए विकल्पों के व्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित भूमि की आवश्यक्ता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहें है।	नहीं
10	**प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा** :– 1. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित आस पास के वन से इनकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार। 2. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	सड़क के किनारे राईट आफ–वे–अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् व्यपवर्तन प्रकरण में प्रतिपूरक वनीकरण से छुट प्राप्त है।

11	जिला वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टि से सक्षम प्रधाधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	आवश्यक्ता नहीं है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
i	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	5601.620 वर्ग कि.मी.
ii	जिले का वन क्षेत्र	3448.520 वर्ग कि.मी.
iii	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	सुकमा वनमंड़ल के अतर्गत 1980 से अब तक कुल 70.225 हेक्टर वनक्षेत्र 5 प्रकरणों में उपयोग मे लाया गया है।
iv	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर	सुकमा वनमंडल अंतर्गत वनभूमि में स्वीकृत परियोजनाओं के विरूद्ध 104.440 हेक्टर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया गया है।
v	अब तक प्रति पूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर	228.650 18.730
	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	सुकमा जिले के सुकमा वनमंडल के अंतर्गत तोंगपाल – सुकमा, सुकमा – दोरनापाल, दोरनापाल – कोंटा, दोरनापाल – सुकमा, तोगपाल, छिंदगढ़, चितागुफा – दोरनापाल मुख्य मार्गो के समानतंर कुल 234.02 कि.मी. सड़क के किनारे राईट आफ–वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन रकबा 1.287 हे. संरक्षित वन 1.355 हे. एवं राजस्व वन भूमि 1.215 हे. कुल 3.857 हेक्टर वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन कार्य के लिए वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनुमति प्राप्त करने हेतु विधिवत प्रस्ताव प्रस्तुत है। उपरोक्त आप्टिकल फायबर केबल बिछाने

		से दूरसंचार एवं इंटरनेट सुविधा से रोजगार के अवसर प्राप्त होगा तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा। अतः वनभूमि प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है।

तिथी :– 12-04-2023

स्थान – सुकमा.

(थेजस शेखर)
भा. व. से.
वनमंडलाधिकारी
सुकमा वनमंडल, सुकमा